



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021

माघ 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

संख्या 319/आठ-1-21-17 बैठक-2018 टी0सी0

लखनऊ, 11 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-40

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2021) की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 11 जनवरी, 2021 को ऐसा दिनांक नियत करती हैं जिस दिनांक को पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबंध, प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 702 राजपत्र-2021-(1395)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 9 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन-2021-(1396)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।